राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प. 1(1)चिस्वा/2/2020 जयपुर, दिनांकः–26.03.2020

<u>आदेश</u>

विश्व स्वास्थ्य सगंठन तथा सयुंक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमणसे बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यापक लोक हित में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा विभिन्न आवश्यक दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. राज्य में विभिन्न जिलों में कार्यरत सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी अपने अपने जिलों में निम्न घटक युक्त दवाओं के स्टॉक से सम्बन्धित सूचना प्रतिदिन सांय 5 बजे तक औषधि नियंत्रक को भिजवायेगें तथा औषधि नियंत्रक द्वारा उक्त **<u>सूचना इकजाई करने के पश्चात</u>** प्रतिदिन सायं 5.30 बजे तक इस विभाग को भिजवायी जायेगी।
    a. Ritonavir
    b. Lopinavir
    c. Oseltamivir
    d. Chloroquin Phosphate
    e. Hydroxy Chloroquine
    f. Azithromycin
2. औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी उक्त घटक युक्त दवाओं के स्टॉक की सूचना राज्य में स्थित विभिन्न दवा कम्पनियों के सी एण्ड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थोक विक्रेता तथा रिटेल विक्रेताओं से प्राप्त करेगें तथा सूचना औषधि नियंत्रक को भिजवायेगें। इसके अतिरिक्त ये अधिकारी बाजार में मास्क एवं सेनेटाईजर्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगें।
3. औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी रिटेल दवा विक्रेताओं को निर्देश प्रदान करेगें कि **उपरोक्त घटक युक्त दवायें सिर्फ रजिस्टर्ड चिकित्सक के प्रिस्क्रिपशन (पर्ची)पर ही बेचान करेगें तथा बेचान किये जाने से पूर्व दी गई दवा की मात्रा का लेख चिकित्सक की पर्ची पर करेगें तथा तत्पश्चात उक्त पर्ची की फोटोकॉपी रखते हुए दवा का बेचान करेगें तथा प्रत्येक ग्राहक को बिल जारी करेगें। उक्त बिल की प्रति एवं पर्ची की प्रति एक–साथ रखेगें जिसे आवश्यकता होने पर कभी भी राज्य सरकार द्वारा मांगा जा सकेगा।**
4. औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी अपने अपने जिलों में अन्य आवश्यक दवाओं/मास्क/ सेनेटाईजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें तथा कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने की कार्यवाही करेगे। दवा/मास्क/सेनेटाईजर्स की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पाये जाने पर दवा विक्रेताओं के विरूद्ध उसी दिन कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिदिन औषधि नियंत्रक को भिजवायेगे।
5. कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी अग्रिम आदेशों तक राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में भी अवकाश नही लेगें तथा प्रतिदिन अपने अपने कार्यक्षैत्र का भ्रमण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगें तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट औषधि नियंत्रक को भिजवायेगें।

6. प्रत्येक जिले में कार्यरत सहायक औषधि नियंत्रक उनके कार्यक्षैत्र में कार्यरत सभी ब्लड बैंकों से सम्बन्धित सूचना(पता, टेलीफोन नम्बर तथा सभी इन्चार्ज के मोबाईल नम्बर) से सम्बन्धित सूचना एक्सल सीट में भरकर औषधि नियंत्रक को भिजवायेगें जिसे औषधि नियंत्रक द्वारा इकजाई करके एक्सल सीट में दिनांक 27.03.2020 सांय 5 बजे तक राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा। साथ ही इन ब्लड बैंकों का जल्द से जल्द एक बार निरीक्षण भी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. प्रत्येक जिले में कार्यरत सहायक औषधि नियंत्रक उनके कार्यक्षैत्र में कार्यरत विभिन्न दवा कम्पनियों के सी एण्ड एफ एजेण्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स की सम्पूर्ण सूचना मय पता एवं मालिक एवं फार्मासिस्ट/योग्य व्यक्ति के मोबाईल नम्बर एक्सल सीट में औषधि नियंत्रक को भिजवायेगें जिसे औषधि नियंत्रक द्वारा इकजाई करके दिनांक 27.03.2020 सांय 5 बजे तक एक्सल सीट में राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

उक्त दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठसहायक, मा. चिकित्सामंत्रीमहोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. औषधि नियंत्रक–प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि उनके स्तर से वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं।
4. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है उनके स्तर से की जानी वाली कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रतिदिन औषधि नियंत्रक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. राजस्थान केमिस्ट एसोशिएशन एवं समस्त जिलों के केमिस्ट एसोशिएशन को प्रेषित कर लेख है किवे अपने स्तर से सभी केमिस्ट को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
6. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव